अंग्रेजी माध्यम)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

प्रबन्धक
सताब्दी पब्लिक स्कूल,
इन्द्रा नगर उरई (जालौन)।

पत्रांक: मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/ 11881-87 /2019-20 दिनांक- 07/02/2022

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनाक 11 जनवरी, 2019 में निहित निर्देशानुसार आपके ऑनलाइन आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश जनपदीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को दिनांक- 03/02/2022 से दिनांक- 02/02/2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 01 से कक्षा 05 तक (प्राथमिक स्तर, अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) का उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय मे होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।

4-पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पृथक बैंक खाता रहेगा।

5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया क अधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

7 प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा मे फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

8 किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

9 प्राथमिक शिक्षा पूरी होने किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

10-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

11-अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

12 अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, उनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगें।

13 अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

14 अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

15-मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यकम मे न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

16-सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

17 मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथ-पत्र दिया जायेगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।

18 भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

d:\desktop data 2018\manyata.docx

MANAGER
Sai Baba Shiksha Prashar Samiti
Rath Road, Orai

19 विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

20–विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया–कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।

21 विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीय चिह्न (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

22 विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

23 बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्यां एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

24 विद्यालय प्रबधतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का शपथ–पत्र दिया जायेगा।

25 मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन अनुरक्षण व इससे संबंधित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है–

1–शिक्षण शुल्क, 2–महंगाई शुल्क, 3–विकास शुल्क, 4–विजली, पानी आदि, 5–कीडा शुल्क, 6–परीक्षा/मूल्यांकन, 7–विद्यालय समारोह/उत्सव, 8–विशेष विषयों की शिक्षा–कम्प्यूटर, संगीत आदि।

26 आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या–..............................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

भवदीय,

(प्रेमचन्द्र यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

पृष्ठाकंन संख्या/मा0/अंग्रेजी माध्यम/ /2019–20 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर शिक्षा निदेशक, (बेसिक), शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, उ0प्र0।
2–मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) झॉसी मण्डल झॉसी।
4 समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
5 खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड..........................।
6 कार्यालय आदेश पत्रावली।

MANAGER
Sai Baba Shiksha Prashar Samiti
Rath Road, Orai

(प्रेमचन्द्र यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

d:\desktop data 2018\manyata.docx

(अंग्रेजी माध्यम)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शताब्दी पब्लिक स्कूल,
ग्राम कुठौन्दा विकासखण्ड डकोर,
जनपद–जालौन।

पत्रांकः मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/ 12931 - 37 /2021–22 दिनांक 30/03/2022

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 ककी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं0–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित निर्देशानुसार आपके ऑनलाइन आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश जनपदीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को दिनांकः 26.03.2022 से दिनांकः 26.03.2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से कक्षा 08 तक (उच्च प्राथमिक स्तर, अंग्रेजी माध्यम ) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

**उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन हैः–**

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिमियम 2010 (उपाबंध 2) का उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय में होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।
4. 4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. प्रवेश किए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
8. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
9. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्त्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने बाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तत ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
12. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, उनके प्रास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएें नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगें।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं
14. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

MANAGER
Sai Baba Shiksha Prashar Samiti
Rath Road Orai

15. मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और नही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
16. सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
17. मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा शपथ–पत्र दिया जायेगी कि वह समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।
18. भारत के संविद्यान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किंसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
20. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया–कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
21. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीय चिह्न एवं नाम, सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन मे रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
22. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
23. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मागें जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
24. विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनविार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का शपथ–पत्र दिया जायेगा।
25. मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भूगतान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है–
1–शिक्षण शुल्क 2–मंहगाई शुल्क 3–विकास शुल्क 4–विजली, पानी आदि, 5–क्रीडा शुल्क 6–परीक्षा/मूल्याकंन 7–विद्यालय समारोह/उत्सव, 8–विशेष विषयों की शिक्षा–कम्प्यूटर, संगीत आदि।
26. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या–............................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

भवदीय,

MANAGER
Sai Baba Shiksha Prashar Samiti
Rath Road, Orai

(प्रेमचन्द यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

**पृष्ठांकन सं0/मा0/अंग्रेजी माध्यम/ /2021–22 तद्दिनांक।**
**प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एण्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर शिक्षा निदेशक, (बेसिक), शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) झॉसी मण्डल झॉसी।
4. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड......Sadar............।
6. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(प्रेमचन्द यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।